सम्पूर्णानन्द–संस्कृत–विश्वविद्यालयः,वाराणसी

(नैक द्वारा "ए" श्रेणी में प्रत्यायित)

(SAMPURNANAND SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA, VARANASI)

(Accredited In Grade "A" By NAAC)

प्रवेश–विवरणिका

सत्र 2017–2018

Online Admission brochure/Information Bulletin

Session – 2017-2018

ऑनलाइन प्रवेश–पंजीकरण/प्रवेशावेदनपत्र सत्र 2017–2018 हेतु

http://www.ssvvonline.in के "ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2017–2018" विकल्प का प्रयोग करें।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी–221002

ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण करने/प्रवेशावेदनपत्र सत्र 2017–2018 को पूरित करने हेतु
महाविद्यालयों/अभ्यर्थियों के लिए दिशा–निर्देश

सामान्य निर्देश :–

1. निम्नलिखित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय की निदर्शिका के नियमों का अनुपालन अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन–पत्र निरस्त हो जायेगा।
2. सभी प्रविष्टियों को भरा जाना अनिवार्य है।
3. आनलाईन प्रवेशावेदनपत्र भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद प्रवेशावेदनपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नहीं खुलेगा।
4. महाविद्यालय/प्रवेशार्थी अन्तिम तिथि के पूर्व ही अपना प्रवेशावेदन–पत्र भरा जाना सुनिश्चित करें।
5. प्रवेशार्थी अपने नाम, माता नाम, पिता नाम तथा जन्म तिथि को पूर्वमध्यमा/हाईस्कूल/समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र के अनुसार ही प्रविष्ट/अंकित करें। महाविद्यालयों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य है।
6. **माता नाम तथा पिता नाम के पूर्व श्री/श्रीमती अथवा अन्य कोई शब्द अंकित न करें। मात्र पूर्वमध्यमा/हाईस्कूल/समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र के अनुसार वास्तविक नाम ही प्रविष्ट करें।**
7. प्रवेशार्थी का रंगीन पासपोर्ट आकार का स्कैन किया गया छायाचित्र (Photograph) JPEG / JPG File Format में, जो 50 KB या इससे कम क्षमता का हो, को अपलोड करना है।
8. प्रवेशावेदन पत्र पर मुद्रित छायाचित्र (Photograph) को प्रमाणित/सत्यापित न करायें।
9. प्रवेशार्थी का स्कैन किया गया हस्ताक्षर JPEG / JPG File Format में, जो 20 KB या इससे कम क्षमता का हो, को अपलोड करना है।
10. प्रवेशावेदन–पत्र भरते समय Submit/सुरक्षित करने के पश्चात स्क्रीन (Screen) पर दिये गये प्रवेश नियंत्रण संख्या को कहीं अंकित कर भविष्य के लिए सुरक्षित कर लें।
11. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश हेतु अलग–अलग कार्यक्रम–विवरण घोषित किया गया है।

12. सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेशार्थ अभ्यर्थी अपने राज्य, जिला, महाविद्यालय नाम एवं विषयों के चयन/प्रविष्टि में विशेष सावधानी बरतें।
13. विषयों का चयन, विश्वविद्यालय की निदर्शिका में वर्णित अर्हता नियमों तथा प्रवेश–संस्था की विषय मान्यता के अनुसार ही करना अनिवार्य है।
14. विश्वविद्यालय परिसर के शास्त्री प्रथम तथा आचार्य प्रथम तथा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा।
15. **प्रवेश समिति के निर्णयानुसार सम्बद्ध महाविद्यालयों में शास्त्री प्रथम तथा आचार्य प्रथम के आवेदित विषय वर्गों में प्रवेश की अनुमन्यता का निर्धारण, पूर्वोत्तीर्ण अर्हता परीक्षा के प्राप्तांको की मेरिट सूची से होगा।**
16. **शास्त्री प्रथम तथा आचार्य प्रथम में प्रवेशार्थ काउन्सलिंग की तिथियों की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा सूचना पट्ट से हो सकेगी।** इस निमित्त प्रवेशार्थियों को अलग से किसी प्रकार की सूचना नही दी जाएगी। अतः नियमित रूप से विश्वविद्यालय की ऑनलाइन वेबसाइट ssvvonline.in को देख कर सूचनाएं प्राप्त करते रहें।
17. प्रवेश सम्बन्धी कोई भी वाद "उच्चन्यायालय, इलाहाबाद" में ही प्रस्तुत किया जायेगा।

पंजीकरण–शुल्क :–

1. विश्वद्यिालय परिसर में संचालित शास्त्री प्रथम तथा आचार्य प्रथम की प्रवेश–परीक्षा के लिये प्रवेश–पंजीकरण शुल्क रु• 200/– (रु• दो सौ मात्र) को ई–चालान के माध्यम से इलाहाबाद बैंक के किसी भी शाखा में बैंक चार्ज रु0 15/– के साथ जमा किया जाएगा।
2. प्रवेश–पंजीकरण शुल्क का ई–चालान विश्वविद्यालय की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु वेबसाइट www.ssvvonline.in के **"ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2017–18"** विकल्प द्वारा जनित किया जाएगा। पंजीकरण शुल्क, ई–चालान जनित करने की तिथि के अगले कार्यदिवस से चालान जनित करने की अंतिम तिथि के पूर्व इलाहाबाद बैंक के किसी भी शाखा में जमा किया जा सकेगा।
3. ई–चालान जनित करते समय प्रवेशार्थियों द्वारा पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा के विवरणों की प्रविष्टि करनी होगी। **अतः प्रवेशार्थी, ई–चालान जनित/मुद्रित करते समय पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा एवं जन्मतिथि के विवरण प्रपत्रों को अपने पास रखें।**
4. प्रवेश–पंजीकरण शुल्क का ई–चालान जनित करने के बाद यदि कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो उसका सुधार सम्भव नही है। **अतः प्रवेशार्थी सावधानी पूर्वक दूसरा नवीन एवं शुद्ध ई–चालान जनित करके ही अग्रिम प्रक्रिया पूर्ण करें।**
5. प्रवेश–पंजीकरण शुल्क को इलाहाबाद बैंक में जमा करने के बाद अगली तिथि को वेबसाइट के **"ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2017–2018"** लिंक के **"प्रवेश–पंजीकरण हेतु आवेदन करें"** विकल्प द्वारा प्रवेशावेदनपत्र पूर्ण करने तथा उसकी हार्डकापी मुद्रित करने की प्रक्रिया सम्पन्न होगी।

6. ई–चालान की तीन प्रतियां होंगी। एक प्रति बैंक अपने पास सुरक्षित रखेगा तथा दूसरी अभ्यर्थी–प्रति, प्रवेशार्थी अपने पास सुरक्षित रखेगा। विश्वविद्यालय–प्रति को मुद्रित प्रवेशावेदनपत्र के साथ निर्धारित तिथि के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

अन्य आवश्यक निर्देश :–

1. विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेशार्थ छात्रों को **शास्त्री प्रथम** तथा **आचार्य प्रथम** के प्रवेशावेदनपत्र के हार्डकापी को संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय के **छात्रकल्याण संकाय के कार्यालय** में निर्धारित तिथि के अन्तर्गत सीघे जमा किया जाएगा अथवा पंजीकृत डाक से **"छात्रकल्याणसंकायाध्यक्ष, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी–221002– उ.प्र.(भारत)"** के पते पर इस प्रकार भेजा जाय कि वह निर्धारित तिथि के अन्तर्गत प्राप्त हो जाय। निर्धारित तिथि व्यतीत हो जाने पर प्रवेशावेदन पत्र स्वीकार नही किए जाएंगें।
2. विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेशार्थ छात्रों को **शास्त्री द्वितीय, शास्त्री तृतीय** तथा **आचार्य द्वितीय** के प्रवेशावेदनपत्र के हार्डकापी को संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय के **सम्बद्ध विभागों** के कार्यालय में निर्धारित तिथि के अन्तर्गत जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि व्यतीत हो जाने पर प्रवेशावेदन पत्र स्वीकार नही किए जाएंगें।
3. अन्य पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवेशार्थियों के लिए परीक्षावेदनपत्रों के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वैध जाति–प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. पूर्वमध्यमा द्वितीय, उत्तरमध्यमा द्वितीय, शास्त्री द्वितीय, शास्त्री तृतीय तथा आचार्य द्वितीय के प्रवेशार्थी उसी महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अर्ह होंगें जिस महाविद्यालय में सम्बंधित कक्षा के पूर्व के खण्ड में गत सत्र 2016–2017 में प्रवेशित होकर सम्बंधित परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे। यही स्थिति विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों पर भी लागू होगी।
5. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थल पर पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा के विवरण (वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्तांक, पूर्णांक तथा परीक्षा–संस्था का नाम इत्यादि) की प्रविष्टियों के शुद्धता की जांच अवश्य कर लें।
6. छात्र जिस महाविद्यालय में जिस कक्षा के प्रथम खण्ड में प्रवेश लेगा, उसे उसी महाविद्यालय से उस कक्षा के सम्पूर्ण खण्डों की परीक्षा पूर्ण करना अनिवार्य है।
7. पूर्वमध्यमा प्रथम खण्ड के सत्र 2017–2018 में वे ही प्रवेशार्थी प्रवेशित हो सकेंगे जिसने 01.01.2017 को 12 (बारह) वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
8. प्रथमा में वे ही छात्र प्रवेशित एवं मान्य होंगें जो प्रवेशित कक्षा (प्रथमा) की होने वाली वार्षिक–परीक्षा–वर्ष के जनवरी मास की पहली तारीख को 12 (बारह) वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगें।
9. प्रवेशावेदनपत्र के अपूर्ण होने, अर्हता संदिग्ध होने एवं आवश्यक सूचना प्रविष्ट न होने तथा अपेक्षित सभी प्रमाणपत्रों के संलग्न न होने की स्थिति में

प्रवेशावेदनपत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। जिसकी सूचना देना आवश्यक नही होगा।

10. प्रवेशावेदन पत्र के साथ अपेक्षित प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपि राजपत्रित अधिकारी अथवा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, या विधिसम्मत किसी विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष अथवा मान्यता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय या डिग्री कालेज या इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित कराकर जमा करना अनिवार्य होगा।
11. जो छात्र प्रथम बार प्रविष्ट होंगे उन्हें प्रवेशावेदनपत्र के साथ त्याग प्रमाणपत्र/निष्क्रमण प्रमाण पत्र (माइग्रेशन) को मूल रूप में जमा करना अत्यन्त आवश्यक होगा।

प्रवेश निरस्तीकरण :–

1. प्रवेश होने के बाद कभी भी प्रवेशावेदनपत्र के साथ संलग्न प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रतिलिपियों में आवश्यकता या सन्देह की स्थिति में कभी भी मूल प्रमाण पत्र मांगा जा सकेगाा मूल प्रमाण–पत्र या प्रमाणित प्रतिलिपि में किसी प्रकार की जालसाजी ज्ञात होने पर आनुशासनिक कार्यवाही के साथ घोषित प्रवेश एवं परीक्षाफल निरस्त किया जा सकेगा।
2. प्रवेशानुमति प्राप्त होने पर ही निर्धारित शुल्क जमा करना होगा तथा शुल्क की रसीद दिखाकर परिचय–पत्र तथा नामांकन–पत्र सम्बद्ध विभागाध्यक्ष कार्यालय से प्राप्त करके अपनी कक्षा एवं विषय के प्रत्येक अध्यापक के यहाँ अपना नाम लिखा लेने पर ही प्रवेश की वैधता पूर्ण होगी।
3. यदि कोई छात्र इस विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होकर अन्य किसी संस्था में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन करता हुआ या जिन विषयो के अध्ययन के लिए निष्क्रमण प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं होती, ऐसे विषयों में बिना विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त किये अन्य किसी संस्था में अध्ययन करता हुआ अथवा व्यक्तिगत छात्र के रूप में किसी अन्य संस्था की परीक्षा में प्रविष्ट होता हुआ प्रमाणित सिद्ध होगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और उसके विरुद्ध कठोर आनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
4. किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

स्थान/सीट निर्धारण एवं आरक्षण :–

1. विश्वविद्यालय की शास्त्री, आचार्य कक्षाओं में उत्तर प्रदेश के 80 प्रतिशत छात्र तथा अन्य प्रान्तो के 20 प्रतिशत छात्र प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। एतदर्थ आवासीय प्रमाण–पत्र अपेक्षित होगा। स्थान रिक्त रहने की दशा में इस नियम को शिथिल किया जा सकेगा।
2. प्रवेशावेदनपत्र के साथ स्थाई निवास–प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. विदेशी प्रवेशार्थियों को मुद्रित प्रवेशावेदन पत्र के साथ, भारतवर्ष–प्रवेश–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

4. विश्वविद्यालय की शास्त्री, आचार्य कक्षाओं के प्रत्येक खण्ड के प्रत्येक "क" वर्गीय विषय में 60 छात्र ही प्रविष्ट हो सकेंगें। यह शासनादेश के अनुसार घट–बढ़ सकता है।
5. आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश का पूर्णतः पालन होगा। किन्तु एतदर्थ प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेशावेदनपत्र के साथ ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अर्हता–विवरण एवं प्रवेशार्थ–विषय–चयन :–

1. विश्वविद्यालय परिसर में शास्त्री प्रथम, आचार्य प्रथम में प्रवेश–प्रक्रिया के सम्बधं में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त कक्षाओं में प्रवेश–परीक्षा के मेरिट से प्रवेश किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत होगा।
2. **(क)** शास्त्री प्रथम की प्रवेश परीक्षा में सामान्य संस्कृत के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice) होगें। परीक्षा अवधि 2 घण्टे की होगी।
   (ख) आचार्य प्रथम भी प्रवेश–परीक्षा में स्व विषयगत प्रश्न के 100 बहुविकल्पीय (Multiple Choice) प्रश्न होगें। परीक्षा अवधि 2 घण्टे की होगी।
3. विश्वविद्यालय परिसर के शास्त्री प्रथम तथा आचार्य प्रथम कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा की उत्तीर्णता का वर्ष, ईस्वीय सन् 2015 से पूर्व का नही होना चाहिए।
4. उत्तरमध्यमा प्रथम खण्ड में प्रवेश हेतु यदि प्रवेशार्थी की अर्हता–परीक्षा हाईस्कूल है तो सामान्य एवं पिछड़ा संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत–विषय में न्यूनतम 45% अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत–विषय में न्यूनतम 40% अंक होना अनिवार्य है।
5. शास्त्री प्रथम खण्ड परीक्षा हेतु यदि प्रवेशार्थी की अर्हता–परीक्षा इण्टरमीडिएट है तो सामान्य एवं पिछड़ा संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत–विषय में न्यूनतम 45% अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत–विषय में न्यूनतम 40% अंक होना अनिवार्य है।
6. आचार्य प्रथम खण्ड परीक्षा हेतु यदि प्रवेशार्थी की अर्हता–परीक्षा बी0ए0 है तो सामान्य एवं पिछड़ा संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत–विषय में न्यूनतम 45% अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत–विषय में न्यूनतम 40% अंक होना अनिवार्य है।
7. अनुत्तीर्ण, अनुपस्थित छात्र पुनः उसी कक्षा में भूतपूर्व छात्र के रुप में उसी कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे परन्तु नियमित छात्रों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं से वंचित रहेंगे। निष्कासित, दण्डित, अनुशासनहीन छात्र प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे।
8. एक विषय में आचार्य परीक्षोत्तीर्ण छात्र विषयान्तर में नियमित छात्र के रुप में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे।

9. "ख" वर्ग मे गणित विषय के साथ उत्तरमध्यमा उत्तीर्ण अथवा इण्टरमीडिएट /समकक्ष परीक्षा गणित तथा संस्कृत(मानक प्रतिशत प्राप्तांक के साथ) के साथ उत्तीर्ण किए हुए प्रवेशार्थी, शास्त्री कक्षा में गणित विषय चुनने हेतु अर्ह होंगें।
10. "ख" वर्ग मे विज्ञान विषय के साथ उत्तरमध्यमा उत्तीर्ण अथवा इण्टरमीडिएट /समकक्ष परीक्षा विज्ञान तथा संस्कृत(मानक प्रतिशत प्राप्तांक के साथ) के साथ उत्तीर्ण किए हुए प्रवेशार्थी, शास्त्री कक्षा के "ख" वर्ग मे विज्ञान विषय चुनने हेतु अर्ह होंगें।
11. "ख" वर्ग मे गृहविज्ञान विषय के साथ उत्तरमध्यमा उत्तीर्ण अथवा इण्टरमीडिएट /समकक्ष परीक्षा गृहविज्ञान तथा संस्कृत(मानक प्रतिशत प्राप्तांक के साथ) के साथ उत्तीर्ण किए हुए महिला प्रवेशार्थिनी, शास्त्री कक्षा के "ख" वर्ग मे गृहविज्ञान विषय चुनने हेतु अर्ह होंगीं।
12. शास्त्री एवं आचार्य कक्षा में प्रवेशार्थ विषयों के चयन एवं एतदर्थ योग्यता–निर्धारण के विवरण हेतु **निम्नलिखित नियमों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।** किसी भी प्रकार की शंका होने पर प्रवेशार्थी, विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों से सम्पर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

निदर्शिका (भाग–4: खण्ड 3 एवं खण्ड 4) के अनुसार शास्त्री तथा आचार्य की प्रवेश नियमावली

{ निदर्शिकानुसारेण(भाग–4:खण्ड 3 एवं खण्ड 4) शास्त्र्याचार्योः प्रवेशनियमावली }

शास्त्री–प्रथमखण्डः

प्रवेशनियमः

1. शास्त्रिपरीक्षासु वक्ष्यमाणपरीक्षोत्तीर्णा अन्वेतुमर्हन्ति–

अ– उत्तरमध्यमापरीक्षा (सर्वा) सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य।

आ– उत्तरमध्यमापरीक्षा मध्यमापरीक्षा वा काशिराजकीयसंस्कृतमहाविद्यालस्य।

इ– उत्तरमध्यमापरीक्षा–(नवीनपाठ्यक्रमेण) विहारसंस्कृतसमितेः।

ई–उत्तरमध्यमापरीक्षा (नवीनपाठ्यक्रमेण) दरभंगास्थ–
कामेश्वरसिंहसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य।

उ– मध्यमापरीक्षा काशीहिन्दूविश्वविद्यालयस्य।

ऊ– भारतीयपरीक्षा काशिराजकीयसंस्कृतमहाविद्यालस्य।

ए– शास्त्रिपरीक्षा जयपुरराजकीयसंस्कृतमहाविद्यालयस्य।

ऐ– शास्त्रिपरीक्षा पंजाबविश्वविद्यालयस्य।

ओ– संस्कृतप्रमाणपत्रीयपरीक्षा सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य
वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वा।

औ– तीर्थपरीक्षा–बंगीयसंस्कृतशिक्षापरिषदः।

अं– इण्टरमीडिएट परीक्षा–(संस्कृतसहिता) उत्तरप्रदेशमाध्यमिकशिक्षापरिषदः, किन्तु संस्कृते प्रतिशतं पंचचत्वारिंशदंकानां लाभोऽनिवार्यः।

अः— कस्यापि प्रादेशिकशासनस्य शिक्षाविभागद्वारा प्राप्तमान्यताकसमितेः विश्वविद्यालयस्य वा तत्समकक्षपरीक्षा संस्कृतेन सह, किन्तु संस्कृते प्रतिशतं पंचत्वारिंशदंकानां लाभोऽनिवार्यः।

2. एते वक्ष्यमाणक्रमेण परीक्षायामन्वेतुमर्हन्ति।

विशेषः— उत्तरमध्यमापरीक्षायां गृहीतः कवर्गीयो विषयः शास्त्रिपरीक्षायां कवर्गीयो विषयो भविष्यति, किन्तु (अ) कमपि कवर्गीयं विषयं गृहीत्वोत्तीर्णोत्तरमध्यमापरीक्षः संस्कृतेन सह इण्टरमीडिएटपरीक्षां तत्समकक्षपरीक्षां वोत्तीर्णः वेद—नव्यव्याकरण—प्राचीनव्याकरण—नव्यन्याय—ज्योतिषातिरिक्तं कमपि कवर्गीयं विषयं गृहीत्वा शास्त्रिपरीक्षायां प्रवेशमर्हति।

नोटः— उत्तरमध्यमापरीक्षायां गृहीतः नव्यव्याकरणविषयकश्छात्रः शास्त्रिपरीक्षायां नव्यन्यायविषयेऽपि प्रवेशमर्हति।

(क) पंजाबविश्वविद्यालयस्य शास्त्रिपरीक्षां न्यायम् वेदान्तम्, सांख्ययोगम्, मीमासाम्, व्याकरणम्, अलंकारं वा विकल्परूपेण गृहीत्वोत्तीर्णाः तेषु विषयेषु शास्त्रिपरीक्षायां प्रवेशमर्हन्ति। किन्तु नव्यन्याये नव्यव्याकरणे वा प्रवेशं नार्हन्ति।

(ख) उत्तरमध्यमायां गृहीतः खवर्गीयः विषयः शास्त्रिपरीक्षायां परिवर्तितो भवितुमर्हति, किन्तु कस्यामपि परीक्षायां प्रथमखण्डे गृहीतः कोऽपि विषयः द्वितीयखण्डे परिवर्तितो भवितुं नार्हति।

(ग) ये छात्राः उत्तरमध्यमापरीक्षायां तत्समकक्षपरीक्षायां वा विज्ञानविषयं न गृहीतवन्तः स्युः, ते शास्त्रिपरीक्षायां विज्ञानविषयं गृहीत्वा प्रवेशं नार्हन्ति।

(घ) खवर्गे गणितं गृहीत्वोत्तीर्णोत्तरमध्यमापरीक्षाः उत्तीर्णतत्समकक्षपरीक्षाः वा छात्रा कवर्गे गणितं गृहीत्वा शास्त्रिपरीक्षायां प्रवेशमर्हन्ति।

(च) क—वर्गीयं प्राचीनराजशास्त्रार्थशास्त्रविषयं गृहीत्वा शास्त्रिपरीक्षायामन्वेतुकामश्छात्रः ख—वर्गीयेष्वधोलिखितेष्वेव विषयेषु कमप्येकं ग्रहीतुं शक्नाति।

1.राजशास्त्रम्, 2. अर्थशास्त्रम्, 3. इतिहासः, 4. प्राचीनभारतीयेतिहासः संस्कृतिश्च, 5. राजशास्त्रदर्शनम्।

(छ) याः छात्राः उत्तरमध्यमायां तत्समकक्षपरीक्षायां वा गृहविज्ञानं विषयं न गृहीतवत्यः ताः शास्त्रिपरीक्षायां गृहविज्ञानविषयं गृहीत्वा प्रवेशं नार्हन्ति।

3— इयं परीक्षा त्रिषु वर्षेषु पूर्णा भविष्यति। अस्यां परीक्षायां वक्ष्यमाणेषु चतुर्षु विषयेषु (अनिवार्यविषय—क—वर्गीयविषय—ख—वर्गीयविषयेषु) घण्टात्रयसमाधेयानि, प्रतिखण्डमष्टौ प्रश्नपत्राणि, ऐच्छिकेष्वतिरिक्तविषयेषु प्रतिखण्डमेकं प्रश्नपत्रम् च। प्रतिप्रश्नपत्रं निर्दिष्टप्रकारेण पूर्णाकाः भविष्यन्ति। प्रतिविषयं प्रतिशतं(36) षट्त्रिंशदंकानां लाभ उत्तरणप्रयोजको भविष्यति।

4— शास्त्रिपरीक्षायाः प्रथमद्वितीयखण्डयोः श्रेणीविभागो न भविष्यति।

5— पाठ्यक्रमः — अस्यां परीक्षायां प्रतिखण्डं निम्नलिखिताः विषयाः भवन्ति—

अनिवार्यविषयौ — (1) संस्कृतम्। (2) हिन्दीभाषा।

वैकल्पिकः विषयः क वर्गः

निम्नलिखितेषु कवर्गान्तरगतैकस्य विषयस्य ग्रहणमनिवार्यम्।

ऋग्वेदः, शुक्लयजुर्वेदः, कृष्णयजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः, वेदनैरूक्तप्रक्रिया, प्राचीनव्याकरणम्, नव्यव्याकरणम्, साहित्यम्, प्राचीनन्यायवैशेषिकम्, नव्यन्यायः, सांख्ययोगः, पूर्वमीमांसा, मध्ववेदान्तः, बल्लभवेदान्तः, शांकरवेदान्तः, निम्बार्कवेदान्तः, रामानन्दवेदान्तः, रामानुजवेदान्तः, गौडीयवेदान्तः, शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तः, दर्शनम्, जैनदर्शनम्, बौद्धदर्शनम्, तुलनात्मकदर्शनम्, पालि, आगमः, योगतन्त्रम्, धर्मशास्त्रम्, पौरोहित्यम् , पुराणेतिहासः, गणितम्, सिद्धान्तज्यौतिषम्, फलितज्यौतिषम्, प्राकृत एवं जैनागमः, प्राचीनराजशास्त्रार्थशास्त्रम्, संस्कृतविद्या, भाषाविज्ञानम्, तुलनात्मकधर्मः

वैकल्पिकः विषयः ख वर्गः

निम्नलिखितेषु खवर्गान्तरगतैकस्य विषयस्य ग्रहणमनिवार्यम्।

हिन्दी, नेपाली, प्राकृतम्, राजशास्त्रम्, अर्थशास्त्रम्, इतिहासः, प्राचीन-इतिहास-पुरातत्व एवं संस्कृति, प्राचीन-भारतीय-राजशास्त्रम्, विज्ञानम्, तुलनात्मकदर्शनम्, समाजशास्त्रम्, भाषाविज्ञानम्, गृहविज्ञानम्, इतिहासपुराणम्, थेरवादः

ऐच्छिकः अतिरिक्तो विषयः

अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रेन्च, चीनी, तिब्बती–भाषायां च प्रतिखण्डमेकं प्रश्नपत्रं भविष्यति यद् उत्तरमध्यमायां तत्समकक्षपरीक्षायां वा अंग्रेजीविषयं गृहीत्वा उत्तीर्णाः परिक्षार्थिनः स्वेच्छया ग्रहीतुं प्रभवन्ति। उत्तीर्णतायां प्रमाणपत्रे तदुल्लेखो भविष्यति। अतिरिक्तविषये प्रथम–खण्डम् अंग्रेजीविषये उत्तीर्ण एव द्वितीयखण्डे अंग्रेजीविषये अन्वेतुमर्हति।

शास्त्री–द्वितीयखण्डः

प्रवेशनियमः

1. शास्त्रिपरीक्षायाः प्रथमखण्डे उत्तीर्णः एव द्वितीयखण्डे अन्वेतुमर्हति।
2. शास्त्रिपरीक्षायाः प्रथमखण्डे यः विषयः गृहीतः, द्वितीयखण्डे स एव विषयः ग्रहीतुं शक्यते।
3. शास्त्रिपरीक्षायां निम्नलिखितप्रकारेण चतुर्षु विषयेषु (अनिवार्य–क–वर्ग–ख–वर्गविषयेषु) घण्टात्रयसमाधेयान्यष्टौ प्रश्नपत्राणि भविष्यन्ति। अतिरिक्तविषयेषु (अंग्रेजी–जर्मन–रूसी–फ्रेञ्च–चीनी–तिब्बतीभाषासु) एकं प्रश्नपत्रम्, यत् शास्त्रिपरीक्षायाः प्रतिशतं षड्त्रिंशदंकानां 36 लाभः उत्तरणताप्रयोजको भविष्यति।
4. शास्त्रिपरीक्षायां प्रतिखण्डं श्रेणीविभागो न भविष्यति, अपितु अन्तिमखण्डमुत्तीर्णे प्रतिखण्डं प्राप्तांकानां योगेन श्रेणीविभागो भविष्यति।

शास्त्री–तृतीयखण्डः

प्रवेशनियमः

1. द्विवर्षीयशास्त्रिपरीक्षोत्तीर्णाः छात्रा एव शास्त्रितृतीयवर्षे प्रवेशार्हाः भविष्यन्ति।
2. शास्त्रिपरीक्षायाः प्रथम–द्वितीयखण्डे यः विषयः गृहीतः, तृतीयखण्डे स एव विषयः ग्रहीतुं शक्यते।
3. शास्त्रितृतीयवर्षे षट् प्रश्नपत्राणि भविष्यन्ति। तत्र चत्वारि प्रश्नपत्राणि "क"–वर्गीयविषयस्य, द्वे प्रश्नपत्रे "ख"–वर्गीयविषयस्य भविष्यतः।
4. शास्त्रितृतीयवर्षे प्रतिप्रश्नपत्रं पूर्णांकाः एकशतम् 100 उत्तीर्णार्थं षड्त्रिंशदंकाः 36 परीक्षार्थिभिरवश्यं प्राप्तव्याः स्युः।
5. शास्त्रिपरीक्षायां प्रतिखण्डं श्रेणीविभागो न भविष्यति, अपि तु तृतीयखण्डे उत्तीर्णे त्रिषु खण्डेषु प्राप्तांकानां योगेन निम्ननिर्दिष्टरीत्या श्रेणीविभागो भविष्यति।
6. **श्रेणीनिर्धारणम्**–त्रिषु खण्डेषु प्राप्तांकानां योगे प्रतिशतं षष्टिः 60 तदधिकान् वा अंकान् लब्धवन्तः प्रथमश्रेण्यां निवेशं लप्स्यन्ते। त्रिषु खण्डेषु प्राप्तांकानां योगे प्रतिशतम् अष्टचत्वारिंशत् 48 अंकेभ्यः आरभ्य षष्टितो न्यूनान् अंकान् लब्धवन्तः द्वितीयश्रेण्यां निवेशं लप्स्यन्ते। त्रिषु खण्डेषु प्राप्तांकानां योगे प्रतिशतं षट्त्रिंशत् 36 अंकेभ्यः आरभ्य अष्टचत्वारिंशदंकतः 48 न्यूनान् अंकान् लब्धवन्तः तृतीयश्रेण्यां निवेशं लप्स्यन्ते।

आचार्य–प्रथमखण्डः

प्रवेशनियमः

1. **आचार्यपरीक्षायां वक्ष्यमाणपरीक्षासूत्तीर्णाः अन्वेतुमर्हन्ति।**

अ– शास्त्रिपरीक्षा–काशिराजकीयसंस्कृतमहाविद्यालस्य।
आ– शास्त्रिपरीक्षा–वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वा।
इ– शास्त्रिपरीक्षा–काशीहिन्दूविश्वविद्यालयस्य।
ई– शास्त्रिपरीक्षा–लक्ष्मणपुरीयविश्वविद्यालयस्य।
उ– शास्त्रिपरीक्षा–(नवीनपाठ्यक्रमेण) विहारसंस्कृतसमितेः
कामेश्वरसिंहदरभंगासंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वा।
ऊ– वी.ए. परीक्षा (संस्कृतेन सह) विधिसम्मतविश्वविद्यालयान्तरणाम्।
ए– वेदालंकारपरीक्षा–हरिद्वारगुरूकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य।
ऐ– विद्यालंकारपरीक्षा–हरिद्वारगुरूकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य।
ओ– शास्त्रिपरीक्षा(संस्कृतेन सह) काशीविद्यापीठस्य।

औ– आयुर्वेदाचार्यपरीक्षा– सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य।

2. आचार्यपरीक्षायां त एव अन्वेतुमर्हन्ति यैः त्रिवर्षीयपाठ्यक्रमेण अर्हतापरीक्षा उत्तीर्णा द्विवर्षीयपाठ्यक्रमपरीक्षोत्तीर्णतानन्तरं सेतुपाठ्यक्रमपरीक्षा वोत्तीर्णः।

शास्त्रिपरीक्षायां गृहीतः कवर्गीयो विषय आचार्यपरीक्षाया विषयो भविष्यति। किन्तु–

क– कमपि कवर्गीयं विषयं गृहत्वोत्तीर्णशास्त्रिपरीक्षः, उत्तीर्णाधुनिकशास्त्रिपरीक्षः विधिसम्मतविश्वविद्यालयान्तराणां संस्कृतेन सह उत्तीर्ण बी.ए. परीक्षाः, उत्तीर्ण–तत्समकक्षपरीक्षो वा प्राचीनव्याकरणवेदनव्यव्याकरणनव्यन्यायज्यौतिषातिरिक्तं कमपि विषयं गृहीत्वा आचार्य–परीक्षायां प्रवेशमर्हति।

ख– वेदालंकारपरीक्षामुत्तीर्य केवलं वेदनैरुक्तप्रक्रियाः साहित्यस्य वा आचार्यपरीक्षायां प्रवेशमर्हति।

ग– विद्यालंकारपरीक्षामुत्तीर्य साहित्यस्य दर्शनस्य वा आचार्यपरीक्षायां प्रवेशमर्हति।

घ– प्राचीनन्यायवैशेषिकविषये समुत्तीर्णशास्त्रिपरीक्षः नव्यन्यायाचार्य परीक्षायामपि अन्वेन्तुमर्हति।

ङ– उत्तीर्णपौरोहित्यशास्त्रिपरीक्षः, कर्मकाण्डशास्त्रिपरीक्षः(का.हि.वि.वि.) शुक्लयजुर्वेदाचार्य परीक्षायामपि अन्वेतुमर्हति।

च– एकस्मिन्विषये समुत्तीर्णाचार्यपरीक्षः वेदनव्यव्याकरणनव्यन्यायज्यौतिषेतरविषयेष्वाचार्यपरीक्षायामन्वेतुमर्हति।

छ– वेदनैरुक्तप्रक्रियां विहाय कस्मिन्नपि वेदविषये एकस्मिन् आचार्यपरीक्षोत्तीर्णो वेदान्तरस्याचार्यपरीक्षायामन्वेतुमर्हति।

ज– अस्य विश्वविद्यालयस्य आयुर्वेदाचार्यपरीक्षोत्तीर्णः साहित्य–पुराणेतिहाससांख्ययोगविषयेषु कमपि एकं विषयं गृहीत्वा आचार्य–परीक्षायां प्रवेशमर्हति।

झ– दर्शनं पालिविषयं वा गृहीत्वा एम.ए. परीक्षामुत्तीर्णः बौद्धदर्शनाचार्यस्य प्रथमखण्डेऽन्वेतुमर्हति, किन्तु यदि तेन भारतीय–दर्शनानाम् एको वर्गोऽधिगतः स्यात्, विश्वविद्यालयस्योत्तरमध्यमापरीक्षां तत्समकक्षसंस्कृतपरीक्षां वोत्तीर्णो भवेत्।

ञ– स्थविरवादे, ख–वर्गे पालिभाषायां वा समुत्तीर्णशास्त्रिपरीक्षः, पालिभाषायां समुत्तीर्ण एम.ए. परीक्षो वा पालिविषयस्याचार्यपरीक्षायामन्वेतुमर्हति।

ट– जैनागमे ख–वर्गे प्राकृतभाषायां वा समुत्तीर्णशास्त्रिपरीक्षः प्राकृतविषयस्याचार्यपरीक्षायामन्वेतुमर्हति।

ठ– दर्शनविषये संस्कृते वा एम.ए. परीक्षोत्तीर्णः तुलनात्मकदर्शनाचार्यपरीक्षायामन्वेतुमर्हति।

3. आचार्यपरीक्षायाः प्रथमवर्षे यो यं विषयमवलम्ब्योत्तीर्णः स तस्मिन्नेव विषये द्वितीयवर्षपरीक्षायामन्वेतुमर्हति।

4. इयं परीक्षा द्वयोः वर्षयोः पूर्णा भविष्यति। अस्यां परीक्षायां वक्ष्यमाणेषु विषयेषु एको विषयः ग्राह्यो भविष्यति। प्रथमखण्डे चत्वारि प्रश्नपत्राणि द्वितीयखण्डे पंचप्रश्नपत्राणि एकैकस्य प्रश्नपत्रस्य शतं(100) पूर्णांकाः भविष्यन्ति। समष्टौ प्रतिशतं(48) अष्टचत्वारिंशद् अंकानां लाभः उत्तरणप्रयोजको भविष्यति।

5. (क) आचार्यपरीक्षायां प्रतिखण्डं श्रेणीविभागो न भविष्यति, अपि तु अन्तिमखण्डे उत्तीर्णे द्वयोः खण्डयोः प्राप्तांकानां योगेन निम्ननिर्दिष्टरीत्या श्रेणीविभागो भविष्यति।

(ख) द्वयोः खण्डयोः प्राप्तांकानां योगे प्रतिशतं षष्टिः(60) तदधिकान् वा अंकान् लब्धवन्तः प्रथमश्रेण्यां निवेशं लप्स्यन्ते।

(ग) द्वयोः खण्डयोः प्राप्तांकानां योगे प्रतिशतम् अष्टचत्वारिंशद्(48) अंकादारभ्य षष्टितो न्यूनान् अंकान् लब्धवन्तः द्वितीयश्रेण्यां निवेशं लप्स्यन्ते।

(घ) आचार्यपरीक्षयां तृतीयश्रेणी न भविष्यति।

6. पाठ्यक्रमः— **इयं परीक्षा वक्ष्यमाणेषु विषयेषु भविष्यति—**

ऋग्वेदः, शुक्लयजुर्वेदः, कृष्णयजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः, वेदनैरूक्तप्रक्रिया, प्राचीनव्याकरणम्, नव्यव्याकरणम्, साहित्यम्, प्राचीनन्यायवैशेषिकम्, नव्यन्यायः, सांख्ययोगः, पूर्वमीमांसा, मध्ववेदान्तः, बल्लभवेदान्तः, शांकरवेदान्तः, निम्बार्कवेदान्तः, रामानन्दवेदान्तः, रामानुजवेदान्तः, गौडीयवेदान्तः, शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तः, दर्शनम्, जैनदर्शनम्, बौद्धदर्शनम्, तुलनात्मकदर्शनम्, पालि, आगमः, योगतन्त्रम्, धर्मशास्त्रम्, पौरोहित्यम्, पुराणेतिहासः, गणितम्, सिद्धान्तज्यौतिषम्, फलितज्यौतिषम्, प्राकृत एवं जैनागमः, प्राचीनराजशास्त्रार्थशास्त्रम्, संस्कृतविद्या, भाषाविज्ञानम्, तुलनात्मकधर्मः

सामान्यनियमः

1. शास्त्रिपरीक्षोत्तीर्णः आचार्यप्रथमखण्डेऽन्वेतुमर्हति।
2. शास्त्रिपरीक्षायां यः विषयः गृहीतः आचार्यप्रथमखण्डे स एव विषयः ग्रहीतुं शक्यते।
3. अस्यां परीक्षायां प्रतिविषयं चत्वारि प्रश्नपत्राणि, एकैकस्य प्रश्नपत्रस्य शतं(100) पूर्णाका भविष्यन्ति। प्रतिखण्डं प्रतिशतं(48) अष्टचत्वारिंशदंकानां लाभः उत्तरणप्रयोजको भविष्यति।
4. आचार्यपरीक्षायाः प्रथमखण्डे श्रेणीविभागो न भविष्यति।

आचार्यद्वितीयखण्डः

प्रवेशनियमः

1. आचार्यपरीक्षायाः प्रथमखण्डे उत्तीर्णः एव द्वितीयखण्डे अन्वेतुमर्हति।
2. आचार्यपरीक्षायाः प्रथमखण्डे यः विषयः गृहीतः द्वितीयखण्डे स एव विषयः ग्रहीतुं शक्यते।
3. आचार्यद्वितीयवर्षस्य मौखिकपरीक्षा 1981 वर्षीयपरीक्षातः समाप्तापि 1992 वर्षीयपरीक्षातः प्रारब्धास्ति। अतः प्रतिविषयमाचार्यद्वितीयखण्डपरीक्षायां चतुर्थपंचमप्रश्नपत्रे वक्ष्यमाणरीत्या भविष्यतः। चतुर्थप्रश्नपत्रम्—स्वशास्त्रीयो निबन्धः, स्वशास्त्रीयेतिहासश्च पंचम प्रश्नपत्रम्—स्वशास्त्रीयव्युत्पत्तिविषयकवाक्परीक्षा।
4. अस्यां परीक्षायां प्रतिविषयं पंच प्रश्नपत्राणि भविष्यन्ति। एकैकस्य प्रश्नपत्रस्य शतं 100 पूर्णांकाः। समष्टौ प्रतिशतं 48 अंकानां लाभः उत्तरणप्रयोजको भविष्यति।
5. श्रेणीनिर्धारणम्— आचार्यपरीक्षायां तृतीयश्रेणी न भविष्यति। किन्तु उभयखण्डेषु प्राप्तांकानां योगे प्रतिशतं षष्टिः 60 तद्धिकान् वा अंकान् लब्धवन्तः प्रथमश्रेण्यां निवेशं लप्स्यन्ते। उभयखण्डेषु प्राप्तांकानां योगे प्रतिशतम् अष्टचत्वारिंशतोऽन्यूनान् षष्टितो न्यूनान् अंकान् लब्धवन्तः द्वितीयश्रेण्यां निवेशं लप्स्यन्ते।

प्रतिज्ञा–पत्र

प्रवेशावेदनपत्र के साथ अभिभावक या स्थानीय संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया हुआ निम्नलिखित प्रारुप में प्रतिज्ञा–पत्र जमा करना आवश्यक होगा।

प्रवेशार्थी/प्रवेशार्थिनी छात्र/छात्रा का प्रतिज्ञापत्र

मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि –

1. मैं विश्वविद्यालय अथवा छात्रावास में रहने की अवधि में ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा/करूँगी, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षिक वातावरण में किसी प्रकार की अशान्ति अथवा उपद्रव हो, और विश्वविद्यालय की गरिमा एवं महिमा पर किसी प्रकार का आघात पहुँचे।
2. मैं उक्त अवधि में ऐसा भी कार्य नहीं करूँगा/करूँगी, जिससे विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अपमान हो।
3. मैं राजनीतिक विचार रखते/रखती हुए/हुई भी उसके अनुसार विश्वविद्यालय अथवा छात्रावास के परिसर में क्रियाशील नहीं होऊँगा/होऊँगी।
4. मैं यह भी प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा विश्वविद्यालय की किसी प्रकार की चल–अचल सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुँचेगी।
5. मैं यह प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि विश्वविद्यालय को क्षति पहुँचाने वालों के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा की जानेवाली आनुशासनिक कार्यवाही में मेरा पूर्ण सहयोग होगा।
6. मैं यह प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि उक्त अवधि में विश्वविद्यालय तथा छात्रावास परिसर में अपना कोई जानवर नहीं रखूँगा/रखूँगी।
7. मैं यह प्रतिज्ञा करता/करती हूँ मैं कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहूँगा/रहूँगी और आवश्यक उपस्थिति प्रतिशत के नियम का पालन करूँगा/करुँगी। मैं इस बात से भी अवगत हूँ कि यदि कक्षाओं में मेरी उपस्थिति 75 प्रतिशत या कुलपति द्वारा प्रदत्त छूट के बाद निर्धारित प्रतिशत से भी कम हो तो मैं विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहूँगा/रहूँगी।

इन प्रतिज्ञाओं को भंग करने पर विश्वविद्यालय जो भी दण्ड निर्धारित करेगा उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा/करूँगी। मैं वचन देता/देती हूँ कि मेरे संरक्ष्य/पाल्य द्वारा उक्त प्रतिज्ञा का अनुपालन किया जायेगा।

अभिभावक/संरक्षक का हस्ताक्षर .....

कक्षा ..... खण्ड .....

विषय ..... दिनांक ..... **छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर**

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्रों
का
शुल्क विवरण
(सत्र 2017–2018)

क्र. सं.	शुल्क विवरण	संस्कृत प्रमाण पत्रीय	शास्त्री	आचार्य	शिक्षाचार्य	ग्रन्थालय विज्ञान	शिक्षाशास्त्री	संगीत प्रमाण पत्रीय	डिप्लोमा पाठ्यक्रम	स्नातकोत्तर भाषा विज्ञान डिप्लोमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	नमांकन शुल्क प्रथम बार	100	100	100	100	100	100	–	–	–
2.	प्रवेश शुल्क	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3.	शिक्षण शुल्क	120	120	120	180	120	1440	120	120	120
4.	परिचय पत्र शुल्क	25	25	25	25	25	25	–	–	–
5.	लब्धांक शुल्क	05	05	05	10	10	10	05	05	05
6.	पत्रिका शुल्क	25	25	25	25	25	25	–	–	–
7.	परीक्षा शुल्क	410	410	610	1000	900	900	410	410	610
8.	संगणक शुल्क	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9.	क्रीड़ा शुल्क	10	10	10	10	10	10	–	–	–
10.	छात्रसंघ शुल्क	10	10	10	10	10	10	–	–	–
11.	चिकित्सा शुल्क	–	–	–	10	10	10	–	–	–
12.	विभागीय शुल्क	–	–	–	1500	500	500	155	155	155
13.	पाठ्य सहगामिनी क्रियायें	–	–	–	1000	–	1000	–	–	–
14.	शैक्षणिक कार्यक्रम शुल्क	–	–	–	–	500	–	–	–	–
सम्पूर्ण योग रु. में		915	915	1115	4080	2420	4240	900	900	1100

विशेष : प्राधिकृत निकायों द्वारा, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के उक्त शुल्क विवरण के सम्बंध में, भविष्य में लिए गए निर्णय मान्य होंगें।

संलग्नकों की जॉच सूची :–

1. ई–चालान की विश्वविद्यालय प्रति मूलरुप में (पंजीकरण शुल्क के सत्यापन हेतु)।
2. पूर्वमध्यमा/हाईस्कूल/समकक्ष परीक्षा के अंकपत्र/प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति (शास्त्री प्रथम/आचार्य प्रथम में जन्मतिथि सत्यापन हेतु)।
3. उत्तरमध्यमा/इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा के अंकपत्र/प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति (शास्त्री प्रथम/आचार्य प्रथम में अर्हता सत्यापन हेतु)।
4. शास्त्री/बी0ए0/ समकक्ष परीक्षा के अंकपत्र/प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति (आचार्य प्रथम में अर्हता सत्यापन हेतु)।
5. अंतिम अध्ययन संस्था द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति (शास्त्री प्रथम/आचार्य प्रथम में चरित्र सत्यापन हेतु)।
6. त्याग प्रमाणपत्र/निष्क्रमण प्रमाण पत्र (माइग्रेशन) मूल रूप में (प्रथम प्रवेश के कारण)।
7. जाति–प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति (अन्य पिछड़ी जाति / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आरक्षण लाभ तथा छात्रवृत्ति हेतु)
8. स्थाई निवास–प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति (शास्त्री प्रथम/आचार्य प्रथम में स्थान/सीट निर्धारण हेतु)
9. विकलांगता प्रमाण–पत्र (विकलांग प्रवेशार्थियों हेतु)
10. भारतवर्ष–प्रवेश–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति (विदेशी प्रवेशार्थियों के अनुमति सत्यापन हेतु)।
11. अर्हता परीक्षा का परीक्षा–प्रवेश–पत्र (यदि प्रवेशार्थी का प्रवेशित कक्षा हेतु अर्हता परीक्षा–परिणाम घोषित नही हुआ है तो वह परीक्षा–प्रवेश–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेगा)।
12. अध्ययन–अन्तराल–औचित्य का शपथ पत्र (यदि अर्हता परीक्षा वर्ष–2017 से पूर्व तथा वर्ष–2014 के बाद के वर्षों में उत्तीर्ण किया है)।
13. प्रवेशार्थी तथा संरक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एण्टी रैंगिंग नोटरी शपथ पत्र की मूलप्रति (प्रवेश अनुमन्य होने पर)

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

अभ्यर्थी का शपथ–पत्र

1. मैं ..... पुत्र / पुत्री .... श्री / श्रीमती / सुश्री ..... ने रैगिंग निषेध के विधि / उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय / राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
2. मैंने मुख्य रूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझ लिया है और मैं जानता / जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।
3. मैंने धारा 7 तथा 9.1 विनिमय को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चयपूर्वक यह प्रयत्न करुँगा / करुँगी कि –
   (क) मैं किसी रैगिंग जो धारा 3 विनिमय में उल्लिखित है उसमें भाग नहीं लूँगा / लूँगी।
   (ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लूँगा / लूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनिमय के अन्तर्गत आता है।
5. मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूँगा / लूँगी अथवा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार नहीं करूँगा / करूँगी।
6. मैं यह घोषित करता / करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराध्णी पाया या पायी गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
7. मैं यह घोषित करता / करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देष की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेष निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर ..... दिन..... महीना..... वर्ष.....

..

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

शपथ–पत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पष्चात् पाया गया कि शपथ–पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नहीं है। शपथ–पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी ने हमारे उपस्थिति में शपथ–पत्र में दिय गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तो को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

माता–पिता/अभिभावक का शपथ–पत्र

1. श्री/श्रीमती/सुश्री ..... (माता–पिता/अभिभावक का पूर्ण पता) माता–पिता/अभिभावक .... (विद्यार्थी का पूर्ण पता प्रवेष/पंजीकरण/पंजीकरण संख्या)..... (संस्था का नाम) ..... संस्था में प्रवेष लिया है। रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देषों तथा विष्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च षिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने मुख्य रूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझ लिया है और मैं जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।
3. मैंने धारा 7 तथा 9.1 विनिमय को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के लिए दोषी पाया जाता है या किसी तरह की रैगिंग के लिए उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता है तो प्रषासन मेरे पुत्र/पुत्री के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं शपथपूर्वक निष्चय करता/करती हूँ कि –
   (क) मेरे पुत्र/पुत्री किसी के रैगिंग जो धारा 3 विनिमय में उल्लिखित है उसमें भाग नहीं लेंगे।
   (ख) मैं अपने पुत्र/पुत्री को किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने दूँगा/दूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनिमय के अन्तर्गत आता हो।
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरे पुत्र/पुत्री रैगिंग के मामले में अपराधी पाया या पायी गयी तो मेरे पुत्र/पुत्री को विनिमय 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे पुत्र/पुत्री के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री के विरुद्ध देष के किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और मेरे पुत्र/पुत्री ऐसे मामले में पाया जाता है या पायी जाती है तो मेरे पुत्र/पुत्री का प्रवेष निरस्त किया जा सकता है।

नाम एवं पता : ..... अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

दूरभाष नं. : .....

सत्यापन

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात पाया गया कि शपथ–पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नहीं है। शपथ–पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।

हस्ताक्षर ..... दिन..... महीना..... वर्ष.....

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी ने हमारे उपस्थिति में शपथ–पत्र में दिन..... महीना ..... वर्ष ..... दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

छात्रावास–नियम

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में वैध रूप से प्रविष्ट छात्रों को छात्रावास आवण्टन–समिति द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार छात्रावास में उपलब्धता के अनुसार स्थान दिया जायेगा।

1. (क) पारम्परिक संस्कृत पद्धति से पढ़े हुए छात्रों को छात्रावास में स्थान देने में वरीयता दी जायेगी।

(ख) आचार्य, शास्त्री, शिक्षाचार्य, शिक्षाशास्त्री, ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान शास्त्री एवं संस्कृत–प्रमाणपत्रीय कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त तथा शोधकार्य के लिए पंजीकृत नियमित छात्र उपलब्धता के आधार पर स्थान पाने के अधिकारी होंगे।

(ग) कोई छात्र इसलिए छात्रावास में स्थान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा कि उसने पूर्व वर्ष में स्थान प्राप्त किया था। अपितु प्रतिवर्ष पुराने छात्र को भी वही कार्यवाही करनी होगी जो विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होने वाले नवीन छात्र को छात्रावास में स्थान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

(घ) जो छात्र विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना किसी अन्य संस्था में किसी ऐसे विषय में प्रवेश लेगा जिसके लिए निष्क्रमण–प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं है तो भी वह छात्रावास से पृथक कर दिया जायेगा।

(ङ) जो छात्र किसी अन्य संस्था में भी नियमित अध्ययन करता हुआ प्रमाणित सिद्ध होगा या व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य संस्था की परीक्षा में प्रविष्ट होगा उसे छात्रावास से हटा दिया जायेगा और उसका प्रवेश विश्वविद्यालय से निरस्त हो जायेगा तथा इस प्रकार की धोखेबाजी के लिए उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(च) ऐसे छात्र जिनके माता–पिता अथवा अभिभावक वाराणसी नगर सीमा में ही निवास करते हैं, उनको छात्रावास में स्थान नहीं दिया जायेगा।

(छ) अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को छात्रावास में स्थान नहीं दिया जायेगा।

(ज) सामूहिक भोजन व्यवस्था में सम्मिलित होने वाले छात्रों को छात्रावास में स्थान देने में वरीयता दी जायेगी।

2. छात्रावास के लिए निर्धारित आवेदन–पत्र निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

3. छात्रावास में स्थान पाने वाले प्रत्येक छात्र को निम्नांकित शुल्क देना अनिवार्य होगा।

प्रवेश शुल्क –

1. शोध छात्रों के लिए एक वर्ष में एक बार – रु. 400.00
2. अन्य छात्रों के लिए एक वर्ष में एक बार – रु. 200.00

आवास शुल्क –

शिक्षाचार्य, शिक्षाशास्त्री तथा ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान शास्त्री कक्षा के छात्रों के लिए –

शोध छात्रों के लिए	–	प्रतिमास रु. 50.00
शिक्षाचार्य छात्रों के लिए	–	प्रतिमास रु. 45.00
दो या अधिक आसन वाले शिक्षाशास्त्री–		प्रतिमास रु. 40.00
आचार्य	–	प्रतिमास रु. 30.00
शास्त्री	–	प्रतिमास रु. 20.00

3. यदि कोई छात्र, छात्रावास में स्थान आवण्टित हो जाने के बाद छात्रावास में नहीं रहना चाहता है तो उसका जमा किया हुआ प्रवेश शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

4. (क) संस्कृत विश्वविद्यालय के पं.शिवकुमार शास्त्री छात्रावास में 48 एकासनीय कक्ष हैं। उनमें आचार्य द्वितीय खण्ड के योग्यताक्रम से 38 छात्रों को तथा 5 स्थान खिलाड़ी एवं शेष 5 स्थान आचार्य प्रथम वर्ष के छात्रों में प्रत्येक संकाय में योग्यता क्रम से आवंटित किये जायेंगे। इस व्यवस्था में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकेगा।

(ख) शोध छात्रों को सामान्यतया दो सत्रों के लिए ही छात्रावास में स्थान दिया जायेगा। अन्य छात्रों को परीक्षा पर्यन्त प्रतिवर्ष समिति के निर्णयानुसार स्थान दिया जायेगा।

5.छात्रावास में स्थान आवंटित करने में सामान्यतः यह सिद्धान्त अपेक्षित होगा कि एक कक्षा के छात्रों को एक खण्ड में आवासित कराया जाय।

6.छात्र प्रतिपालक में निहित प्रबन्धाधिकार में निर्दिष्ट नियमों का प्रत्येक छात्र को अनुवर्तन करना होगा।

छात्र प्रतिपालक के निम्न प्रबन्धाधिकार होंगे –

(क) प्रतिपालक को यह अधिकार होगा कि वे गिने चुने छात्रों की उपसमिति गठित कर दें। यथा–

1. भोजन व्यवस्था समिति।
2. सांस्कृतिक कार्य क्रीड़ा एवं मनोरंजन समिति।
3. छात्रावास को साफ–सुथरा रखने एवं प्रांगण को सुसज्जित रखने वाली समिति इत्यादि।

(ख) समिति द्वारा आवंटित कक्षों को सत्र के मध्य में परिवर्तित करने का अधिकार सम्बद्ध प्रतिपालक को होगा। किन्तु उस परिवर्तन पर समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(ग) मेस व्यवस्था छात्रों की उपसमिति करेगी। प्रतिपालक समय–समय पर मेस का निरीक्षण, भोजन की स्वच्छता, भोजन के स्तर एवं नियमित रूप से मासिक व्यय के औचित्य की देखभाल करते रहेंगे।

(घ) प्रतिपालक को छात्रावासीय परिचालकों का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित करना होगा कि छात्रावास की सुरक्षा एवं छात्रों की सुविधा का पूर्ण ध्यान रहे।

(ङ) छात्रावास के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र से निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की जायेगी। यदि कोई छात्र रुग्णावस्था में विश्वविद्यालयीय चिकित्सालय जाने में असमर्थ होगा तो प्रतिपालक के निवेदन पर विश्वविद्यालय के चिकित्साधिकारी स्वयं उस छात्र को छात्रावास में जाकर देखने का प्रयत्न करेंगे।

(च) यदि कोई रुग्ण छात्र अपनी चिकित्सा के लिए किसी बाहर के चिकित्सक को छात्रावास में बुलाता है तो ऐसी दशा में बाहरी चिकित्सक को बुलाने का सम्पूर्ण व्यय छात्र को स्वयं वहन करना होगा। बाहरी चिकित्सक से चिकित्सा कराने पर यदि कोई दुर्घटना होती है तो पूरी जिम्मेदारी उस छात्र की होगी।

(छ) छात्रावास में यदि कोई छात्र अस्वस्थ हो जाता है तो उसकी सूचना उसे सम्बद्ध प्रतिपालक को आवश्यक कार्यवाही के लिए देनी होगी।

(ज) कोई छात्र यदि किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो जायेगा तो उसे तत्काल छात्रावास से निज गृह को भेज दिया जायेगा।

7. छात्रावास के लिए निर्धारित नियमावली में जो विषय नहीं आए हों उनके लिए छात्रकल्याण–संकायाध्यक्ष का निर्णय मान्य होगा।

8. **छात्रावास में रहने वाले छात्रों का दायित्व –**

(क) छात्रावास के प्रत्येक छात्र अपने कमरे की सफाई, उपकरणों की देखभाल करेगा तथा प्रांगण की स्वच्छता के लिए पूर्ण योगदान देगा। छात्रावास में व्यवस्था, शान्ति एवं अनुशासन बनाए रखना उसके कर्त्तव्यों में से अन्यतम कर्त्तव्य होगा। प्रतिपालक के आदेश एवं विभिन्न समितियों तथा उपसमितियों के निर्णय का पालन करना उसका परम धर्म होगा।

(ख) छात्रावास के छात्रगण किसी प्रकार का विज्ञापन तथा किसी प्रकार की सभा आदि का आयोजन बिना प्रतिपालक की पूर्व अनुमति के नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी समारोह या गोष्ठी में अथवा प्रतिपालक द्वारा आयोजित किसी भी शैक्षिक योजना में छात्रावासीय छात्रों को योगदान देना आवश्यक होगा।

(ग) छात्र नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास के निमित्त प्रवचन, विचार गोष्ठी, अध्ययन मण्डल, शास्त्रार्थ, कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी आदि की व्यवस्था प्रतिपालक के निर्देशन में कर सकेंगे।

(घ) कोई छात्र छात्रावास के वाचनालय का अनुचित उपयोग नहीं कर सकेगा।

9. **अनुशासन –**

(क) छात्रावास में आसन आवण्टित हो जाने पर स्थान ग्रहण कर लेने के बाद प्रतिदिन प्रत्येक छात्र की उपस्थिति अनिवार्य होगी। नवम्बर मास से फरवरी तक उपस्थिति 8 बजे से 8.30 बजे तक सायंकाल तथा शेष महीनों में रात्रि 9 बजे से 9.30 बजे तक ली जायेगी।

(ख) छात्रावासीय छात्र, उपस्थिति पंजिका में जिस दिन अपना हस्ताक्षर अंकित नही करेगा उसे दूसरे दिन उसका लिखित कारण सम्बद्ध छात्रावास के प्रतिपालक को बताना होगा, अन्यथा ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए दस–दस रुपये प्रतिदिन वह अर्थदण्ड का भागी होगा, जो उसकी छात्रवृत्ति से काटा जा सकेगा।

जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती हो वह इस दण्ड की राशि को विश्वविद्यालय कोष में जमा करेगा। यदि निर्धारित तिथि तक इस दण्ड की धनराशि को जमा नहीं करेगा तो उसे छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।

(ग) उक्त नियम उन छात्रों के लिए उतनी अवधि के लिए लागू नहीं होगा जितनी अवधि के लिए वे प्रतिपालक की अनुमति लेकर बाहर गये होंगे।

(घ) चार दिन से कम के विश्वविद्यालयीय अवकाशों में छात्रावास को छोड़ने की अनुमति प्रतिपालक विशेष स्थितियों में ही दे सकेंगे।

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य के चलते समय किसी भी छात्रावासीय छात्र को छात्रावास से अवकाश तभी प्राप्त हो सकेगा जब वह अध्ययन कक्षाओं से अवकाश की स्वीकृति प्रतिपालक के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यदि किसी दिन किसी छात्र को उपस्थिति के समय छात्रावास में उपस्थित रहने में विशेष कठिनाई हो तो वह इसकी अनुमति प्रतिपालक से पहले ही लिखित रूप से प्राप्त कर लेगा।

(च) ग्रीष्मावकाश में शोधछात्रों एवं अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास के छात्रों को छात्रावास में रहने की विशेष अनुमति प्रदान की जायेगी। यदि आवश्यक एवं सम्भव हो तो ऐसे सभी छात्रों को ग्रीष्मावकाश में एक ही छात्रावास में ठहराया जा सकेगा।

(छ) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए छात्रावास के सभी छात्रों से यह अपेक्षा है कि वे संयमित एवं नियमित जीवन व्यतीत करें। धृति, क्षमा एवं अस्तेय आदि उनके मुख्य आधार होंगे।

(ज) छात्रावास के परिचारकों से झगड़ा करना अथवा उन्हें अपमानित करना आदि उनका अपराध समझा जायेगा। जिसके लिए उनकी प्रकृति के अनुरूप उनके विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(झ) मादक द्रव्यों का सेवन, धूम्रपान एवं सामिष आहार तथा मछली या अण्डे का भोजन छात्रावासों में सर्वथा वर्जित है।

(ञ) कोई भी छात्र किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र–शस्त्र को नहीं रख सकेगा। यदि कोई अस्त्र–शस्त्र रखते हुए पाया जायेगा तो उसे तत्काल छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।

(ट) छात्रों को अपने द्रव्य तथा मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। एतदर्थ उन्हें अपना सामान अपनी सन्दूक या आलमारी में ताला बन्द कर रखना अनिवार्य होगा।

(ठ) यदि किसी छात्र के पास साइकिल या स्कूटर हो तो उसकी सुरक्षा का दायित्व छात्र पर होगा।

(ड) कोई छात्र रेडियो, बिजली एवं पंखा, कूलर आदि का प्रयोग प्रतिपालक की अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं कर सकेगा। प्रतिपालक अनुमति देते समय अतिरिक्त विद्युत व्यय निर्धारित करेंगे और एतदर्थ छात्र को प्रतिमास विद्युत शुल्क देना होगा, या छात्रवृत्ति से कटाना होगा। निर्धारित शुल्क न देने पर प्रतिपालक द्वारा छात्र का उपकरण अपने अधिकार में ले लिया जायेगा और तब तक वह उसे वापस न होगा जब तक प्राप्तव्य सम्पूर्ण शुल्क जमा न कर देगा।

अनुमति के बिना ऐसे उपयोग प्रमाणित होने पर पांच सौ रुपया अर्थदण्ड देय होगा।

(ढ) कोई छात्र छात्रावास में सामान्यतया किसी अतिथि को नहीं ठहरा सकेगा। किन्तु यदि कोई छात्र गम्भीर रूप से रुग्ण हो जाय तो उसकी देखभाल के लिए छात्र के माता–पिता, अभिभावक या सम्बन्धी विषेष स्थिति में तीन दिन तक ठहर सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में प्रतिपालक की लिखित रूप से पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।

(ण) ग्रीष्मावकाश के पूर्व छात्रावास छोड़ते समय प्रत्येक छात्र को अपना कमरा खाली कर प्रतिपालक को सौंप देना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं करेगा तो आगामी सत्र में छात्रावास में स्थान पाने का अधिकारी नहीं रहेगा और बिना किसी पूर्व सूचना के मनोनीत अधिकारियों की उपस्थिति में उसका ताला तोड़ कर सामान सम्पत्ति अधिकारी के पास रख दिया जायेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो पुलिस को सौंप दिया जायेगा।

(त) छात्रावास अथवा विश्वविद्यालय से निष्कासित किसी छात्र को छात्रावास में जाने की अनुति नहीं दी जायेगी। ऐसे निष्कासित छात्र को यदि कोई छात्रावासी अपने पास बैठायेगा अथवा छात्रावास में उसके आगमन को प्रोत्साहित करेगा तो सम्बद्ध छात्रावासी दोषी समझा जायेगा और वह भी दण्ड का भागी होगा।

(थ) कोई छात्रावासी सत्र के बीच लम्बी छुट्टियों के बाद विश्वविद्यालय खुलने के दिन बिना पूर्व सूचना के यदि उपस्थित नहीं पाया जाता तो वह दण्डित किया जायेगा।

(द) प्रतिपालक की अनुमति के बिना 10 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर किसी छात्रावासी को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।

(ध) अनुशासन से सम्बद्ध प्रत्येक प्रश्न पर प्रतिपालक का निर्णय ग्राह्य होगा। प्रतिपालक के निर्णय से असन्तुष्ट होने पर छात्र उचित माध्यम से कुलपति को प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा।

10. **जल विद्युत शुल्क** – छात्रावास में रहने वाले प्रत्येक छात्र से रु. 20.00 प्रतिमास जल–विद्युत शुल्क लिया जायेगा।

11. शोध छात्रों से रु. 400.00 एवं अन्य छात्रों से रु. 200.00 प्रति छात्र प्रतिभूनिधि ली जायेगी।

छात्रवृत्ति सम्बन्धी सामान्य नियम

छात्रवृत्ति मेधावी छात्रों को आर्थिक कठिनाई से अध्ययन न कर सकने के कारण दी जाती है। छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्रों को प्राप्त हो सकेगी जो केवल विश्वविद्यालय में सुचारू रूप से अध्ययन कर रहे हैं और किसी अन्य संस्था में नियमित छात्र नहीं हैं। छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में निम्नांकित नियमों का पालन करना अत्यावश्यक है –

1. छात्रवृत्ति केवल विश्वविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन करने वाले छात्रों को ही दी जायेगी।
2. जो छात्र इस विश्वविद्यालय तथा किसी अन्य संस्था के साथ–साथ अध्ययन करेंगे उन्हें किसी भी स्थिति में छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।
3. यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन करता हुआ पाया जायेगा तो उसकी छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जायेगी और प्रारम्भ से दी गई छात्रवृत्ति वापस करनी होगी।
4. किसी भी छात्र को दो छात्रवृत्तियाँ जो इस विश्वविद्यालय से अथवा इसके माध्यम से प्राप्तव्य है नहीं दी जायेगी।
5. छात्रवृत्ति सम्बन्धी केवल उन्हीं छात्रों के प्रार्थनापत्रों पर योग्यताक्रम से विचार किया जायेगा जो यहाँ की अव्यवहित पूर्व वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण हों।
6. शासन द्वारा निर्दिष्ट निम्नांकित नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा –
   (क) किसी भी कक्षा में छात्रवृत्तियाँ एक शैक्षिक वर्ष में सम्बन्धित कक्षा के छात्रों को 50 प्रतिशत या छात्रवृत्तियों की निम्नलिखित संख्या में जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होंगी।
   (ख) अनुत्तीर्ण एवं तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण तथा दण्डित छात्रों को छात्रवृत्तियाँ किसी भी दशा में नही दी जायेगी।
   (ग) उन छात्रों को भी छात्रवृत्तियाँ नहीं मिलेंगी जो एक विषय में आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करके पुनः किसी अन्य विषय या किसी कक्षा में प्रवेश लेते हैं।
   (घ) अव्यवहित पूर्व वर्ष में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को ही छात्रवृत्ति दी जायेगी। जो छात्र पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करके एक वर्ष या उससे अधिक समय के अन्तर के बाद अगली परीक्षा में भाग लेते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति देय न होगी।
   (ङ) विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति के लिए सरकार (शासन) ने निम्नांकित विवरणानुसार अपनी स्वीकृति प्रदान की है –

क्र.सं.	कक्षा	छात्रवृत्तियों की संख्या	दर (रु. मासिक)
1.	शोध (रिसर्च)	12	150.00
2.	आचार्य	50	30.00
3.	शास्त्री	80	20.00

7. संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत परीक्षा बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र ही छात्रवृत्ति के अधिकारी होंगे। इनसे शेष बचने पर अन्य छात्रों पर विचार किया जा सकेगा।
8. छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र को नियमित रूप से कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थित रहना अनिवार्य है। प्रत्येक मास में विभागाध्यक्ष द्वारा उपस्थिति प्रमाणित होने पर ही छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।
9. किसी प्रकार के अनुशासन विरुद्ध कार्य में भाग लेने वाले छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जायेगा।

विश्वविद्यालय में वितरित होने वाली छात्रवृत्तियों एवं तत्सम्बन्धित नियम आदि का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	छात्रवृत्ति नाम	स्वीकृत संख्या	दर एवं अवधि	संक्षिप्त–नियम
1.	वर्सरी	58 शास्त्री प्रथम खण्ड 10 x 3 = 30 आचार्य प्रति खण्ड 14 x 2 = 28	रु. 100 प्रति मास दस मास के लिए	यह प्राप्त प्रार्थनापत्रों में अव्यवहित परीक्षा के आधार पर योग्यता क्रम से शास्त्री प्रथम, एवं आचार्य प्रथम वर्ष के छात्रों में जिनका अंक 50 प्रतिशत से ऊपर हो, वितरित करने का प्रावधान है। शास्त्री द्वितीय, तृतीय एवं आचार्य द्वितीय खण्ड में अंक पूर्व परीक्षा में 50 प्रतिशत से अन्यून होने पर पूर्व कक्षा में इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने वाले छात्रों के प्रार्थनापत्र का नवीनीकरण होता है।
2.	विश्वविद्यालयीय	आचार्य – 50 25 x 2 = 50 शास्त्री – 80 शास्त्री प्रथम– 27 शास्त्री द्वितीय– 27 शास्त्री तृतीय– 26	आचार्य रु. 30.00 शास्त्री रु. 20.00 प्रति मास दस मास के लिए	शास्त्री एवं आचार्य कक्षा के छात्रों से प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर योग्यता क्रम से द्वितीय श्रेणी से अन्यून अंक प्राप्त करने वाले छात्रों में अव्यवहित पूर्व परीक्षा के आधार पर यह छात्रवृत्ति वितरित की जाती है।
3.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली की शास्त्री–आचार्य छात्रवृत्ति		आचार्य–रु. 500.00 शास्त्री–रु. 400.00 प्रति दस मास के लिए	कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली से 50 प्रतिशत से अन्यून अंक वाले छात्र में इस छात्रवृत्ति का वितरण होता है।
	शोध छात्रवृत्ति (विद्यावारिधि पी–एच.डी. उपाधि हेतु)		रु. 1500 प्रतिमास दो वर्ष के लिए एवं प्रतिवर्ष कण्टीजेन्सी रु. 2000.00 एक मुस्त दस मास के लिए	इस सम्बन्ध में स्वीकृति और धन प्राप्त होने पर ही विश्वविद्यालय उनका भुगतान करता है।
4.	हरिजन कल्याण छात्रवृत्ति		दस मास के लिए	मात्र हरिजन एवं पिछड़े हुए वर्ग के छात्रों को समाज–कल्याण कार्यालय, वाराणसी द्वारा यह छात्रवृत्ति स्वीकृति होती है। तत्सम्बन्धी आवेदन–पत्र भी वहीं से प्राप्त होते हैं। सम्प्रति समाज कल्याण सेल से उक्त कार्य सम्पन्न होता है।

5.	विकलांग छात्रवृत्ति		दस मास के लिए	यह छात्रवृत्ति केवल विकलांग छात्रों को प्रान्तीय एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत एवं धन प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय उसका भुगतान करता है। तन्निमित्त प्रार्थना पत्र सचिव, समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा प्राप्त होता है।
6.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रवृत्ति		रु. 250.00 प्रति मा. बारह मास के लिए	यह केवल आचार्य कक्षा के मेधावी छात्रों को पूर्णतया योग्यताक्रम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाती है।
7.	हिमांचल प्रदेशीय छात्रवृत्ति		यह हिमांचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित होती है। दस मास के लिए	यह छात्रवृत्ति हिमांचल प्रदेशीय सरकार द्वारा हिमांचल प्रदेशीय छात्रों को ही दी जाती है। इसकी स्वीकृति एवं धनराशि हिमांचल प्रदेश सरकार द्वारा ही प्राप्त होती है।
8.	वल्लभवेदान्त छात्रवृत्ति		आचार्य– दो रु. 50.00 प्रति मास शास्त्री – दो रु. 40.00 प्रति मास दस मास के लिए	यह छात्रवृत्ति शास्त्री–आचार्य में वल्लभ–वेदान्त के छात्रों में योग्यता क्रम से दी जाती है। किन्तु किसी कक्षा में छात्र न होने की स्थिति में दूसरी कक्षा के वल्लभ–वेदान्त के छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जा सकती है।
9.	उड़िया बाबा छात्रवृत्ति	आचार्य प्रथम एवं द्वितीय से एक–एक छात्र	रु. 45.00 प्रति मा. दस मास के लिए	यह छात्रवृत्ति शांकरवेदान्त विषय के आचार्य कक्षा में दोनों खण्डों में एक–एक छात्र को योग्यता क्रम से दी जाती है।
10.	चन्द्रमणि छात्रवृत्ति	1	दस मास के लिए दर ब्याज के आधार पर	इस छात्रवृत्ति के लिए रामानन्द वेदान्त विभाग में अध्ययन करने वाले रामानन्दीय वैष्णव सम्प्रदाय के किसी एक विरक्त साधु छात्र को देने का प्रावधान है।
11.	सीमान्त प्रदेशीय छात्रवृत्ति			यह छात्रवृत्ति जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के द्वारा वहीं के छात्रों के लिए स्वीकृत होती है।
12.	रघुनाथ जी छात्रवृत्ति		रु. 200.00 एक मुश्त	वेद–वेदान्त–मीमांसा विषय के किसी निर्धन छात्र को कुलपति की स्वीकृति प्राप्त कर एक सत्र के लिए रु. 200.00 की एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
13.	आसाम प्रदेशीय छात्रवृत्ति			यह आसाम प्रदेशीय हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को आसाम सरकार द्वारा स्वीकृत होती है एवं

				धनराशि प्राप्त होने पर वितरित की जाती है।
14.	केन्द्रीय ऋण छात्रवृत्ति			यह जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति पर निदेशक, उच्च शिक्षा, अर्थ–3 द्वारा कतिपय आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति कराने के अनन्तर इलाहाबाद से स्वीकृत होती है।
15.	योग्यता छात्रवृत्ति			यह छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित योग्यता सूची के आधार पर निदेशक, उच्च शिक्षा, अर्थ–3 उ.प्र. इलाहाबाद द्वारा शासन के निर्णयानुसार स्वीकृत होती है।
16.	रामदास कठिया बाबा छात्रवृत्ति	5	आचार्य रु. 40.00 शास्त्री रु. 35.00 प्रति मास दस मास के लिए	केवल निम्बार्क विषय के छात्रों को शास्त्री के प्रत्येक खण्ड से एक–एक तथा आचार्य के प्रत्येक खण्ड से एक–एक छात्रवृत्ति वितरित करने का प्राविधान है।
17.	शंकरसहाय निगम छात्रवृत्ति	2	रु. 3.00 प्रति मास बारह मास के लिए	इसे दर्शन विषय के शास्त्री के प्रत्येक खण्ड से एक–एक छात्र को योग्यता क्रम से देने का प्रावधान है।
18.	गुजराती छात्रवृत्ति		रु. 2.00 (दो) प्रतिमास दस मास के लिए	इसे विश्वविद्यालय के गुजराती छात्रों के बीच भुगतान किया जाता है।
19.	रामलला छात्रवृत्ति	1	रु. 20.00 प्रति मास	इसे विश्वविद्यालय के वेद, वेदान्त, मीमांसा, सांख्ययोग अथवा प्राचीन न्याय वैशेषिक विषय के किसी एक निर्धन छात्र को देने का प्रावधान है।
20.	दिव्यानन्दपुरी छात्रवृत्ति	5	रु. 400.00 प्रतिमाह, दस मास के लिए	यह छात्रवृत्ति अध्यादेश के अनुसार आचार्य प्रथम वर्ष में पूर्व मीमांसा, नव्यन्याय, योगतन्त्र, प्राचीन राजशास्त्रार्थशास्त्र और वेदान्त विषयों में अध्ययनरत नियमित छात्रों की दी जायेगी। द्वितीय वर्ष में नवीनीकरण होगा।
21.	जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी स्वरूपानन्दजीदास महाराज छात्रवृत्ति	1	रु. 300.00 प्रतिमाह	यह छात्रवृत्ति सम्बद्ध अध्यादेश के अनुसार वेद विषय में अध्ययनरत नियमित आचार्य प्रथम वर्ष के छात्रों को दी जायेगी जिसका द्वितीय वर्ष में नवीनीकरण होगा।
22.	दण्डीस्वामी महन्त काषी आश्रम जी छात्रवृत्ति		रु. 100.00 प्रतिमास, दस मास के लिए	यह छात्रवृत्ति सम्बद्ध अध्यादेश के अनुसार वेद, मीमांसा, न्याय, वेदान्त, योगतन्त्र एवं प्राचीन

				राजशास्त्रार्थशास्त्र विषयों में अध्ययनरत आचार्य कक्षा के दो गरीब एवं योग्य छात्रों को दी जायेगी। छात्रों का चयन कुलपति की अध्यक्षता में छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष संयोजक कुलपति द्वारा नामित एक संकायाध्यक्ष एवं एक आचार्य द्वारा होगा।
23.	सतुआ बाबा छात्रवृत्ति	1	रु 500.00 प्रतिमास 20 मास तक के लिए	यह छात्रवृत्ति भगवान् विष्णु स्वामी सम्प्रदाय या उनकी परम्परा पर अनुसन्धान के लिए विद्यावारिधि उपाधि के लिए पंजीकृत छात्रों को दी जायेगी।
24.	स्व. डांगरे महाराज छात्रवृत्ति	2	ब्याज दर के आधार पर दस माह के लिए	शास्त्री, आचार्य में सर्वाधिक अंक प्राप्त होने पर दी जायेगी।
25.	सद्गुरु रामसिंह जी महाराज छात्रवृत्ति	1	रु. 1000.00 प्रतिमाह दर से 12 माह के लिए	पीठ द्वारा धन प्राप्त होने पर विद्वान् गुरु नानकदेव, गुरुगोविन्द सिंह, श्रीसतगुरु राम सिंह परम्परा से सम्बद्ध किसी विषय पर शोध कार्य करने वाले छात्र को दी जायेगी। उक्त विषय प्राप्त न होने पर भारतीय धर्मदर्शन अथवा भारत की प्राचीन संस्कृति से सम्बद्ध किसी विषय पर शोध करने वाले छात्र को दी जायेगी।
26.	विभूति भूषण भट्टाचार्य छात्रवृत्ति	1	रु. 100.00 प्रतिमास की दर से 10 माह के लिए	न्याय वैषेषिक की आचार्य कक्षा के सर्वोत्तम छात्र को छात्रवृत्ति दी जायेगी।

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी

छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष का मोबाइल नम्बर : 9450015943

मुख्य विनयाधिकारी का मोबाइल नम्बर : 9452213355

मुख्य प्रतिपालक का मोबाइल नम्बर : 9935409711

कुलसचिव का मोबाइल नम्बर : 9454028590